यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

ठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

स्व वाद संख्या : 15/2014

दी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

. अम्बुजा सीमेन्ट्स लिमिटेड जरिये संयुक्त अध्यक्ष श्री जी.वी. रामाकृष्णा पुत्र श्री जी.श्री रामामूर्ति जाति-ब्राह्मण,अम्बुजा सीमेन्ट टाउनशिप-राबडियावास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. चैन सिंह पुत्र मोडसिंह
2. उगम सिंह पुत्र मोडसिंह
3. शिम्भूसिंह पूत्र मोडसिंह
4. तखतसिंह पुत्र मोडसिंह
5. प्रकाश कंवर पुत्री उदयसिंह
6. जनक कंवर पुत्री उदयसिंह
7. गोपाल कंवर पत्नी उदयसिंह
8. चन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
9. रणजीत सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
10. सुमेर कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह
    कौम-राजपुत नि. राबडियावास
    तहसील-जैतारण, जिला-पाली
11. तहसीलदार,जैतारण
    तहसील-जैतारण, जिला-पाली

<u>राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> <u>तारीख रजू:.23.01.2014</u>

उपस्थितः- 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 27/09/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादी मैसर्स अम्बुजा सीमेन्टस लिमिटेड, यूनिट-राबडियावास कम्पनी के बिजनेस हैड जगदीश तोषनीवाल को कम्पनी की जमीन व सम्पति बाबत् सक्षम न्यायालयें वाद पेश करने वाद पर हस्ताक्षर करने बयान देने या किसी भी कम्पनी के अधिकारी / कर्मचारी को वाद की कार्यवाही हेतु नियुक्त व मुकर्रर करने का अधिकार दिया हुआ है। श्री जगदीश तोषनिवाल बिजनेस हैड ने श्री मनोज कर्नावत वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वाणिज्यिक) को सभी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही व वाद न्यायालय में प्रस्तुत करने व करवाने का अधिकार दिया गया है। उक्त कम्पनी के बिजनेस हैड द्वारा दिये गये अधिकार के पत्र की फोटोप्रति वाद के साथ पेश की है, जिसे वाद का एक भाग माना जावे, जिसके तहत मनोज कर्नावत द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। सरहद मौजा-राबडियावास, तहसील-जैतारण में अम्बुजा सीमेन्टस् लिमिटेड कम्पनी का एक वृहद सीमेन्ट प्लान्ट कार्यरत व उत्पादनरत है व उक्त सीमेन्ट प्लान्ट में सीमेंन्ट उत्पादन हेतु कच्चा माल लाने व उत्पादित सीमेन्ट बाहर डिस्पेच करने के यातायात व ट्रान्सपोर्ट बाबत् भारतीय उत्तर पश्चिम रेल्वे द्वारा बांगड ग्राम ब्यावर से रास तहसील-जैतारण तक रेल्वे की ओर से रेल्वे लाईन बिछाई जा रही है। रेल्वे द्वारा रास में रेल्वे स्टेशन स्थापित कर रेल्वे लाईन डाली जाकर

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

यातायात व ट्रान्सपोर्ट शुरु किया जायेगा। रेल्वे एंव कम्पनी के मध्य हुये समझौते के अनुसार रेल्वे स्टेशन रास से वादी के अम्बुजा सीमेन्ट्स् प्लान्ट तक वादी के खर्चे से रेल्वे लाईन बिछाई जानी प्रस्तावित हैं। इस बाबत् सर्वे भी किया जा चुका है व रिको ... जयपुर के भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त रेल्वे लाईन के सर्वे में आई निजी खातेदारी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है व लम्बित है। रेल्वे द्वारा अम्बुजा सीमेन्टस् लिमिटेड, यूनिट–राबडियावास तक किये गये रेल्वे के सर्वे अनुसार जिन निजी खातेदारों की भूमि जिसमें होकर रेल्वे लाईन बिछाई जानी प्रस्तावित हैं। वादी कम्पनी द्वारा खातेदारों से उक्त रेल्वे लाईन में काम आने वाली कृषि भूमि के खातेदार काश्तकारों को बाजार दर से राशि अदा कर खातेदारी भूमि खरीद कर कम्पनी के नाम दर्ज हो चुकी है। प्रस्तावित रेल्वें लाईन के लिये खरीद की गई भूमि मौके पर कम्पनी को बैचान करने वाले खातेदारों की मौके पर उक्त भूमि के सहखातेदार काश्तकारों के मध्य बंटी हुई थी। मौके पर वादी कम्पनी को बेची गई भूमि का बैचानकर्ताओं का मौके पर अलग से कब्जा काश्त था। वह भूमि मौके पर वादी कम्पनी को सुपुर्द कर कब्जा सम्भला दिया गया, जिस पर वादी कम्पनी काबिज है, मगर वादी कम्पनी के कब्जे व हिस्से की अन्य सहखातेदार काश्तकार की कृषि भूमि जमाबन्दी में सामलाती खाता दर्ज है व लगान भी सामलाती है, नक्शे ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक दर्शायी गई है। वादी कम्पनी के हिस्से की भूमि मौके पर जरिये तरमीम अलग नही दर्शाई गई है, ऐसी सूरत में वादी कम्पनी की खरीदसुदा कब्जासुदा जमीन खसरा नम्बर 827/7 रकबा 69 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम लगान 21.66 रुपये की वादी की 619/1390 हिस्से की भूमि यानि 30 बीघा 19 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 827/7 के नक्शे में मौके अनुसार लाल रंग से डाट लाईन रेखांकित कर दर्शायी गई है तथा प्रस्तावित रेल्वे लाईन -1-1-1-1-1-1- आसमानी रंग से दर्शायी गई है। जिसका नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है। वाद की खरीदसुदा भूमि की जमाबन्दी(खतौनी) सम्वत् 2065 से 2068 बाबत् खसरा नम्बर 827/7 रकबा 69 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा राबडियावास तहसील जैतारण की प्रमाणित प्रतिलिपि दावे के साथ पेश है,जिसे दावे का एक भाग माना जावें। उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार लाल रंग डाट लाईन से दर्शाये गये वादी के 619/1390 हिस्से की भूमि यानि 30 बीघा 19 बिस्वा का तकास्मा वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है। वादी के उक्त भूमि का मौके पर पत्थर गढी कर नेखमबन्दी कर मौके पर बांटी जावें एंव भूमि का वादी कम्पनी के नाम का अलग से खाता दर्ज किया जावें, वादी के 619/1390 हिस्से की भूमि 30 बीघा 19 बिस्वा का लगान भी अलग से कायम किया जावें। जरिये तकास्मा वादी कम्पनी ऐसा करवाने की अधिकारी हैं। इसलिये दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 सहखातेदार काश्तकार है, के विरुद्ध वाद पेश है। वाद तकास्मा आराजी वादी कम्पनी अपनी खरीदसुदा खातेदारी हिस्सें की भूमि जो नजरी नक्शें में लाल रंग डाट लाईन से दर्शाई गई है, मैं बतौर खातेदार मालिक के सभी प्रकार से उपयोग एवं उपभोग कर इसमें भविष्य में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी को रुकावाने का अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी कम्पनी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा करने पर वादी उन्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देगा, जिस पर मौके पर टन्टा फसाद होगा, ऐसा होने पर वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध बार–बार दिवानी फौजदारी मुकदमें दायर करने पडेंगे, जिससे विविध मुकदमें बाजी होगी तथा वादी कम्पनी को अपूरणीय क्षति होगी, इसलिये वादी

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रश्नगत कृषि भूमि के लैण्ड होल्डर तहसीलदार, जैतारण है, जो तकारमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरुद्ध कोई अनुज्ञा नहीं चाहती है। बिनायदावा दिनांक 09/01/2014 को वादी कम्पनी द्वारा प्रतिवादीगण को बमुकाम-राबडियावास, तहसील-जैतारण में मौके पर हो रखे बंट्वाडा अनुसार बंट्वाडा कर जमीन का तकारमा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने पर तकारमा होने तक बमुकाम-राबडियावास, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, नियन्त्रण जारी हैं, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार सयामत अदालत वाला के हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अट्ल सेवा केन्द्र-राबडियावास में पेश हुई। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई हैं। वादी अपनी आराजी का बंटवाडा चाहता हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात तथा तस्दीक सुदा साक्ष्य के शपथ-पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, लिहाजा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी कर बंट्वाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री वहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा-राबड़ियावास, पट्वार हल्का-राबड़ियावास में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 827/7 रकबा 69-10 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/1214 दिनांक 24/10/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/4687 दिनांक 06/08/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-राबड़ियावास, पटवार हल्का-राबड़ियावास में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 827/7 व 827/18 कुल रकबा 58-11 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	मैसर्स अम्बुजा सीमेन्ट्स लिमिटेड जरिये संयुक्त अध्यक्ष श्री जी.वी. रामाकृष्णा पुत्र श्री जी.श्री रामामूर्ति जाति-ब्राह्मण,अम्बुजा सीमेन्ट टाउनशिप-राबडियावास	827/7 827/19	22-18-00 2-13-00		6.89 1.03
	योग	**2**	**25-11-00**		**7.92**
2	चैनसिंह उगमसिंह शिम्भुसिंह तखतसिंह पि0 मोडसिंह प्रकाशकंवर जनककंवर पुत्रियां उदयसिंह गोपालकंवर पत्नी उदयसिंह 5/6 रणजीतसिंह चन्द्रसिंह पि.लक्ष्मणसिंह सुमेरकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह 1/6 कौम राजपूत सा.देह खातेदार रहन माफिक बदस्तूर।	827/18 827/20	30-07-00 2-13-00		9.20 1.03
	योग	**2**	**33-00-00**		**10.23**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 27/09/2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner